

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- मुसप्र/2020/1194

दिनांक :- 10/01/2020

संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम जोधपुर के अधीन आवासीय अभियन्ता खण्ड द्वितीय/तृतीय, जोधपुर के कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना के 830 आवासों का निस्तारण ई-ऑक्शन में 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक दर पर आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें सहवन से आवास संख्या/फ्लैट संख्या एवं श्रेणी, टंकित हो गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में	वर्तमान में पढ़ा जावें
1.	पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 12.12.2019 के क्रम संख्या 3 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में MIG-B के 140 एवं LIG के 109 फ्लैटों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से करने हेतु जारी किये गये है।	क्रम संख्या 3 में MIG-B के 140 एवं LIG के 109 फ्लैटों को कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना के स्थान पर विवेक विहार योजना पढ़ा जावें।
2.	पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 12.12.2019 के क्रम संख्या 3 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में MIG-A के 84 एवं 5 MIG-B के 19, LIG के 2 एवं EWS के 41 एवं 3 फ्लैटों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से करने हेतु जारी किये गये है।	क्रम संख्या 3 में MIG-A के 84 एवं 5 MIG-B के 19, LIG के 2 एवं EWS के 41 एवं 3 फ्लैटों को कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना के स्थान पर कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना-द्वितीय पढ़ा जावें।
3.	पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 12.12.2019 के क्रम संख्या 3 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में EWS के फ्लैट संख्या 7-डी-5 का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से करने हेतु जारी किये गये है।	क्रम संख्या 3 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में EWS के फ्लैट संख्या 7-डी-5 के स्थान पर 1-डी-05 पढ़ा जावें।
4.	पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1067 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 1144 दिनांक 26.12.2019 के क्रम संख्या 5 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में EWS के फ्लैट संख्या 12-1-20 का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से करने हेतु जारी किये गये है।	क्रम संख्या 5 में कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में EWS के फ्लैट संख्या 12-1-20 के स्थान 12-आई-20 पढ़ा जावें।

(कश्मी कौर)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर रा0आ0म0, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है. कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक